न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः—मूलचन्द, आर.ए.एस.

अपील संख्याः—84/2019/223 आरटीए

1. *शेख मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री खैरदीन, आयु—71 वर्ष,*
2. *श्योकतअली पुत्र स्व0 श्री खैरदीन, आयु—61 वर्ष,*
3. *मु0 हलीमा बेवा स्व0 श्री नेक मोहम्मद पुत्र स्व0 श्री खैरदीन, आयु—66 वर्ष*
4. मकबूल खां, आयु 46 वर्ष
5. आशक, आयु 43 वर्ष
6. शमशेर अली आयु 41 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 श्री नेकमोहम्मद पुत्र स्व0 श्री खैरदीन

जाति कुम्हार मुसलमान, निवासीगण ढ़ालिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़

7. शमीना (पुत्री स्व0 श्री नेक मोहम्मद) धर्मपत्नि श्री अलीशेर, आयु—48 वर्ष, जाति कुम्हार मुसलमान, निवासी फेफाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़—

——अपीलांट/वादीगण——

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़

——रेस्पोर्डेट/प्रतिवादी——

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2019 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ प्र सं—405/2019

उपस्थित 1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता—अपीलांट
2. श्री के0एस0 खोसा—राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांकः—24.06.2019**

1. अपीलांट ने यह अपील दिनांक 03.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 405/2019 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है। जिसमें यह अनुतोष याचित किया कि चक 37 एन.जी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—14/11 सम्वत् 2071—2074 तादादी 8.665 हैक्टेयर में स्व0 श्री खैरदीन पुत्र रूकनदीन के 1.444 हैक्टेयर भूमि शेख मोहम्मद 1/3 हिस्सा, श्योकत अली 1/3 हिस्सा व हलीमा बेवा नेक मोहम्मद, मकबूल खां, आशक, शमशेरअली पिसरान नेक मोहम्मद तथा शमीना पुत्री नेक मोहम्मद बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा दर 1.444 हैक्टेयर के खातेदार है व मुताबिक घोषणा वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या—14/11 में अंकित प्रविष्टि "शेखमोहम्द, श्योकतअली पि. खैरदीन, हलीमा बेवा नेक मोहम्मद, मकबूल खां, आशक, शमशेर अली पि. नेकमोहम्मद, शमीना पुत्री नेक मोहम्मद बहिब 1.444 है0" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "शेख मोहम्मद 1/3 हिस्सा, श्योकतअली 1/3 हिस्सा पि. स्व0 श्री खैरदीन व हलीमा बेवा नेक मोहम्मद, मकबूल खां, आशक, शमशेर अली पि. नेकमोहम्मद, शमीना पुत्री नेक मोहम्मद बहिब 1/3 हिस्सा दर 1.444 हैक्टेयर अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण उपरान्त अपीलांट/वादीगण का यह वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादीगण को इन्तकाल संख्या 129 दर्ज जाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी तथा इस दुरूस्ती के लिये धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत वादपत्र पोषणीय नहीं है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22—04—2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

Web Copy - Not Official

भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये प्रावधानों से शासित होंगे की व्यवस्था अनुचित रूप से पारित की है। प्रश्नगत भूमि स्व0 श्री खैरदीन पुत्र रूकनदीन की थी तथा उसके तीन पुत्र शेख मोहम्मद, श्योकतअली व नेकमोहम्मद थे तथा विधि अनुसार इन तीनों पुत्रों का क्रमशः 1/3–1/3–1/3 हिस्सा था व नेक मोहम्मद के फौत होनें के कारण उसके वारिसान अपीलांट संख्या 3 से 7 का 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर का हक था लेकिन इन्तकाल संख्या–129 में भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय शेख मोहम्मद, श्योकतअली पिसरान खैरदीन व हलीमा बेवा नेक मोहम्मद, मकबूल खां, आशक, शमशेरअली पिसरान नेक मोहम्मद व शमीना पुत्री नेकमोहम्मद बहिब 1/3 हिस्सा दर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि शेखमोहम्मद 1/3 हिस्सा, श्योकतअली 1/3 हिस्सा व स्व0 श्री नेक मोहम्मद के वारिसान हलीमा बेवा नेक मोहम्मद, मकबूल खां, आशक, शमशेरअली पिसरान नेक मोहम्मद व शमीनां पुत्री नेकमोहम्मद बहिब 1/3 हिस्सा दर 1.444 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टि से अपीलांट के नीहित खातेदारी अधिकार प्रभावित हुये है तथा इस गलत प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत ही हो सकता था तथा धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को किसी गलत प्रविष्टि के कारण प्रभावित होने वाले हित व अधिकार को जरिये दुरूस्ती घोषणा का अनुतोष प्रदत करते हुये रिकार्ड में दुरूस्ती करने का अधिकार है। अपने इन तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायदृष्टान्त आरआरडी 2009 पेज 560, आरआरडी 1981 पेज 560 प्रस्तुत किये तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार करते हुये वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत बताते हुये यह तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट को इन्तकाल संख्या 129 की प्रविष्टियों से कोई आपति थी तो अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। घोषणा के वादपत्र में अपीलांट/वादीगण वांछित दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा यह तर्क प्रस्तुत करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में में वाद घोषणा इस आधार पे पेश किया गया ाा कि विरासत का नामांतरण होते वक्त हिस्सा गलत दर्ज किया गया है जिसकी दुरूस्ती करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नामांतकरण को अपील का बिन्दू मानते हुए धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण वाद खारिज कर दिया। धारा 88 में राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की त्रूटि को सुधार करने के संबंध में दावा लाने का खातेदार का अधिकार होता है। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंन्तर्गत भी दिया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः पक्षकारान के हिस्से का परीक्षण करते हुए सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 405/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2019 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पक्षकारान के हिस्से का परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दनांक 24.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official